न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—328/2016/223 (2016/00328)

1. गजराजसिंह पुत्र करणीदान, जाति चारण, निवासी मेहरूखुर्द, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 16.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 172/2012 .

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः—08.10.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व खसरा संख्या 46 रकबा 8—1—00 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 101 रकबा 0.47 है0 एवं खसरा संख्या 104 रकबा 0.30 है0 बने है, यह भूमि अपीलांट के बुजुर्गो के समय से उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस भूमि पर अपीलांट से पूर्व उसके पिता करणीदान काश्त करते थे, त्रुटिवश उक्त भूमि प्रतापसिंह पुत्र भवानीसिंह के नाम अंकित हो गई तत्पश्चात् बिना अपीलांट को सुने इस भूमि को राजकीय भूमि दर्ज कर दिया गया तथा वर्तमान अभिलेखों के अंकन के रहते विपक्षी अपीलांट को परेशान करने तथा बेदखल करने पर आमादा है जबकि भूमि पूर्व अभिलेखों के अनुसार लगातार अपीलांट के पूर्वजों के कब्जा काश्त की भूमि रही है । अतः अपीलांट को विवादित भूमि खसरा नंबर 101 व 104 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज कर निर्णय दिनांक 16.6.2016 को वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने

अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 46 रकबा 8–1–00 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 101 रकबा 0.47 है0 एवं खसरा संख्या 104 रकबा 0.30 है0 बने है, यह भूमि अपीलांट के बुजुर्गो के समय से उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस भूमि पर अपीलांट से पूर्व उसके पिता करणीदान काश्त करते थे किन्तु त्रुटिवश उक्त भूमि प्रतापसिंह पुत्र भवानीसिंह के नाम अंकित हो गई तत्पश्चात् बिना अपीलांट को सुने इस भूमि को राजकीय भूमि दर्ज कर दिया । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित भूमि की खातेदारी बाबत् वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधी0न्याया0 ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये लोक अदालत में प्रकरण को निर्णित किया है जो विधिविरूद्ध है । लोक अदालत में प्रकरण सहमति व राजीनामा से निर्णित किये जाते है जबकि दिनांक 16.6.2016 को अपीलांट उपस्थित ही नहीं था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट को उपस्थित बताकर मनमर्जी तरीके से वाद को निर्णित कर दिया है जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि दिनांक 30.4.2015 को प्रकरण वास्ते शहादत वादी नियत किया गया था तथा वादी साक्ष्य बाबत् अपीलांट ने शपथ पत्र गवाहों के प्रस्तुत किये थे तथा वादी के गवाह पी0डब्ल्यू01 से दिनांक 6. 4.2016 को जिरह की गई थी, शेष गवाहों की जिरह हेतु प्रकरण लंबित था परन्तु अचानक प्रकरण को लोक अदालत में नियत कर दिया गया । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2016 को निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज जिस पर कब्जे के आधार पर वादी/अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । वादी ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा0दी0 का नोटस भी नहीं दिया है जिससे भी वादी/अपीलांट का वाद चलने योग्य नहीं था । अधी0न्याया0ने वाद में तनकियात कायम कर वाद को निर्णित किया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद में वादी के गवाह पी0डब्ल्यू0 1 की दिनांक 6.4.2016 को जिरह दर्ज की है तत्पश्चात् प्रकरण को उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण को लोक अदालत में दिनांक 16.6.2016 को नियत किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.4.2015 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट के वाद में वादपत्र एवं प्रतिवादी के जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की है तत्पश्चात् वादी ने अपने गवाह पी0डब्ल्यू0 1, 2 3 व 4 को पेश किया तथा पी0डब्ल्यू0 1 की जिरह भी हुई है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम कर प्रकरण को तनकीवार निर्णित किया है । अधी0न्याया0 द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वाद को निर्णित किये जाने के संबंध में वादी/अपीलांट द्वारा किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है । हम अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि वादी ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी राज्य सरकार को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस नहीं दिया है जो कि आवश्यक है। धारा 80 जा0दी0 के नोटिस के अभाव में भी वादी/अपीलांट का वाद संधारण योग्य नहीं था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित

आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है तथा वादी ने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है । वादग्रस्त सिवायचक आराजी पर वादी द्वारा कब्जा किये जाने पर वादी के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही की जाकर वादी को विवादित आराजी से बेदखल किया जाना भी साबित है जिससे विवादित आराजी पर वादी/अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त भी नहीं माना जा सकता है। वैसे भी सिवायचक भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नियमों में नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वादी/अपीलांट का वाद निरस्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2018 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर